निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1939 (श0)

(सं0 पटना 671) पटना, सोमवार, 31 जुलाई 2017

सं0 08/आरोप–01–11/2017 सा0प्र0–8227
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
6 जुलाई 2017

श्री सुरेश कुमार सिन्हा, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक–408/11 (सम्प्रति सेवानिवृत) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियापुर, मुंगेर के पद पर पदस्थापन के दौरान इन्दिरा आवास मद की राशि 10,10,416/– (दस लाख दस हजार चार सौ सोलह) को राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं रखकर बरियापुर बाजार पैक्स, बरियापुर में रखने संबंधी वित्तिय अनियमितता बरतने का आरोप ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 299062 दिनांक 03.02.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया। विभागीय स्तर पर मामले की समीक्षा में पाया गया कि पैक्स में जमा उक्त राशि के विरूद्ध प्रखंड कार्यालय, बरियापुर से जारी चेक बिना भूगतान के ही वापस हो गया। कालान्तर में जमा राशि की वसुली नहीं हो सकी, जिसके लिए पैक्स के अध्यक्ष एवं सचिव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई तथा निलाम पत्र वाद संख्या–39/11–12, 40/11–12 भी दायर किया गया। इस प्रकार इन्दिरा आवास की राशि को नियम के विरूद्ध राष्ट्रीयकृत बैंक से इतर पैक्स में रखे जाने से सरकारी राजस्व की क्षति हुई। यह भी पाया गया कि आरोप का विषय वर्ष 2005–2006 का है और आरोपित पदाधिकारी दिनांक 31.01.2016 को सेवानिवृत हो चुके है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 बी0 के तहत प्रक्रिया कालबाधित है क्योंकि आरोप 04 वर्ष से अधिक पुराना है। चूँकि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध कदाचार के प्रयाप्त सबुत है इसलिए बिहार पेशंन नियमावली, 1950 के नियम 139 के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया । तदुपरान्त आरोप, प्रपत्र–'क' पुनगर्ठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–4207 दिनांक 07.04.2017 द्वारा श्री सिन्हा से बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के तहत कारण पृच्छा किया गया। उक्त क्रम में श्री सिन्हा द्वारा अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक–04 दिनांक 03.05.2017) समर्पित किया गया।

2. श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण आरोप, प्रपत्र–'क' एवं उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्री सुरेश कुमार सिन्हा, बि0प्र0से0, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियापुर, मुंगेर के पद पर दिनांक 02.02.2005 से 01.03.2006 तक पदस्थापित रहे। उन्होंने बरियापुर बाजार पैक्स में रू0 10,10,416/– (दस लाख दस हजार चार सौ सोलह रूपये) इन्दिरा आवास मद की राशि जमा किया। पैक्स में राशि रखे जाने का ग्रामीण विकास विभाग का कोई निदेश नहीं था। श्री सिन्हा के ही कार्यकाल में पैक्स ने उक्त राशि का गबन कर लिया जो संज्ञान में तब आया जब प्रखंड विकास पदाधिकारी का चेक बाउन्स हो गया। जिला पदाधिकारी ने आरोप–पत्र भेजते हुए लिखा है कि बरियापुर पैक्स के अध्यक्ष एवं सचिव पर

प्राथमिकी दर्ज कराई गयी एवं उनके विरूद्ध निलाम–पत्र वाद भी दायर किया गया। जिला पदाधिकारी ने यह भी उल्लेख किया है कि राशि का पूर्ण गबन हुआ जिसके लिए श्री सुरेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेदार है। श्री सिन्हा ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि पैक्स में सरकारी राशि जमा करने पर रोक लगी हुई है ऐसी कोई सूचना उन्हें नहीं थी, परन्तु स्पष्टीकरण में उन्होने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पैक्स में राशि जमा करने के लिए क्या ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निदेश उन्हें दिया गया था ? स्पष्टीकरण में श्री सिन्हा ने यह भी कहा है कि जमा वृद्धि योजना के तहत उन्होने पैक्स में राशि जमा की थी और वे अपने पदस्थापन काल में ही चेक निर्गत किये थे, जो बिना भुगतान के ही वापस आ गया था। श्री सिन्हा ने अपने स्पष्टीकरण में ही आरोप में वर्णित राशि के गबन की बात स्वीकार की है। उनका कहना है कि प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक, मुंगेर एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर के सहयोग से राशि की वसुली अपेक्षित है और राशि वसूली का प्रयास जारी है। उनके द्वारा राशि की वसुली के लिए तीन माह का अवसर देने की अनुमति भी मांगी गई ।

3. बिहार पेशंन नियमावली, 1950 के नियम 139 (ग) का प्रावधान है कि:–

''यदि समाधान हो जाय कि संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध कार्यरत अवधि में घोर कदाचार के सबूत है। परन्तु शक्ति का प्रयोग संबंधित पेंशनर को उचित जवाब देने का अवसर प्रदान कर समुचित विचार करते हुए ही की जा सकती है।'' श्री सिन्हा को समुचित अवसर दिया गया। गबन का आरोप प्रमाणित है जिसे श्री सिन्हा ने स्वीकार भी किया है। श्री सिन्हा का कृत्य गंभीर कदाचार की श्रेणी का है।

4. वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सुरेश कुमार सिन्हा, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक–408/11 सम्प्रति सेवानिवृत के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती करने का निर्णय लिया जाता है:–

''पेंशन से 25% (पच्चीस प्रतिशत) की कटौती पाँच (05) वर्षो तक।''

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 671–571+10–**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in